बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक–वि0 प्रा0 त0 शि0(X) छात्र समस्या –02/2026/3722 /पटना, दिनांक– 30.6.26

प्रेषक,

हिमांशु शर्मा, (भा0प्र0से0)

सचिव,

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, बिहार।

विषयः–विभागान्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन के संबंध में समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश संसूचित किये जाते हैं:–

1. सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों एवं छात्रों का Biometric Attendance अनिवार्य रूप से लिया जाय।

प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि छात्र Biometric Attendance System पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर वर्ग कक्ष में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों का अनिवार्य रूप से वर्ग कक्ष एवं लैब में भी रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति अंकित की जाय जिससे कि वर्गों का संचालन शिक्षकों द्वारा नियमानुसार किया जा सके एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

2. ऐसे दृष्टान्त विभाग के समक्ष आये हैं, जिसमें देखा गया है कि मेस संचालन बन्द हो गया है और छात्र हॉस्टल के बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। सभी प्राचार्यों को निदेशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से मेस का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी परिस्थिति में छात्रावास के कमरों में खाना बनाने का कार्य नहीं होना चाहिये।

3. शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं विशेषकर छात्रों के लिए महाविद्यालय/संस्थान परिसर में कैंटिन, कैफेटेरिया, स्नैक्स कॉर्नर आदि की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित की जाय जिससे की शिक्षकों एवं छात्रों को चाय, नाश्ता आदि के लिए महाविद्यालय/पोलिटेकनिक परिसर के बाहर नहीं जाना पड़े।

उपरोक्त बिन्दुओं पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

23/6/20

सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।